2017/00052

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 27/2017

अपीलांट
1.कृष्ण पुत्र गोपीलाल
2.रामचन्द्र पुत्र गोपीलाल
3.केसाराम पुत्र गोपीलाल
4.गणपतलाल पुत्र गोपीलाल
जाति ब्रहामण निवासी जानियाना
तहसील,पचपदरा

बनाम

रेस्पोडेंटस
1.राजस्थान सरकार जरिये
जरिये तहसीलदार पचपदरा
2.चेतनराम पुत्र तगाराम
जाति मेगवाल निवासी
बायतु भोपजी तहसील बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 19.04.2017 बमुकदमा संख्या 02/2016 द्वारा तहसीलदार पचपदरा

उपस्थितः–1. श्री राणाराम गौड' अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री सोहन दवे अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री गणेश कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 13.06.2018

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 02 चेतनराम वगैरा ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार,पचपदरा के समक्ष पेश इस आश्य का पेश किया कि उनकी खातेदारी की ग्राम हेमपुरा के खसरा नम्बर 1124/204 रकबा 60–00 बीघा आई है।उक्त भूमि में से 12–03 बीघा भूमि पर पाड़ोसी खातेदार अपीलांट्स–कृष्ण, रामचन्द्र,केसाराम एंव गणपतलाल पिसरान गोपीलाल जाति ब्रहामण साकिन जानियाना ने अतिक्रमण कर रखा है। इसलिये अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा दिलाया जाए। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा ने धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज संख्या 02/2016 दर्ज कर, बाद जॉच व सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2017 द्वारा अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि से अतिकमी घोषित करते हुए बेदखल करने के आदेश दिये,202/– रूपये जुर्माना आरोपित किया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

जिला कलक्टर
बाडमेर

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा मूंगड़ा का मूल खसरा नम्बर 204 का रकबा 680 बीघा किस्म बिला कब्जा मुमकिन तहसील पचपदरा में आया हुआ था। राज्य सरकार द्वारा इस खसरा नम्बर में 32 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई। जिसमें अपीलांट्स को 40 बीघा भूमि आवंटित की गई थी एंव 60 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 02 व उसके भाईयों को आवंटित की गई। आवंटन के अनुसार अपीलांट्स को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 1126/204 व रेस्पोडेंट संख्या 02को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 1124/204 जरिये नामान्तरकण राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त आवंटित भूमि का लट्टा ट्रेस में करने व आवंटन के अनुसार तरमीम नहीं की गई, जिसके कारण विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। उन्होने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 के बीच विवाद होने पर रेस्पोडेंट संख्या 02 सहित अन्य लोगो ने सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में कब्जे के आधार पर सही तरमीम करने का आवेदन प्रस्तुत किया था, मगर उस आवेदन के निर्णय से पूर्व ही धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोडेंट चेतनराम की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई और न ही अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट की भूमि पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा है। गलत तरमीम के आधार पर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1126/20 रकबा 40 बीघा भूमि को हड़प करना चाहता है इसलिये अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाए।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता का यह तर्क है कि अनुसूचित जाति के वर्ग के खातेदारी की भूमि अपीलांट को किसी भी अवस्था में हस्तांतरित नहीं हो सकती है। अगर अनुसूचित जाति के खातेदारी की भूमि पर किसी स्वर्ण संवर्ग के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो वह व्यक्ति उस अनुसूचित जाति की खातेदारी पर अतिक्रमी है और उसे धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बाद जॉच बेदखल किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। पटवारी हल्का एंव भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलाधीन आराजी का मौका देखकर सीमाज्ञान कर फर्द बनायी गयी। मौके पर सीमा ज्ञान अनुसार अपीलांट्स का 12–03 बीघा भूमि अतिक्रमण पाया गया है। इसलिये रेस्पोडेंट की भूमि पर अपीलांट्स द्वारा कब्जा करने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत है लिहाजा अपीलांट्स की अपील खारिज की जाए।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से रेस्पोडेंट संख्या 02 चेतनराम ने उनकी खातेदारी भूमि मौजा हेमपुरा के खसरा नम्बर 1124/204 रकबा 12.03 बीघा पर अपीलांट्स द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण सख्या 02/2016 दर्ज कर अपीलांट्स को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट्स दिनाक 08.07.2016 को अधीनस्थ नयायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष की पैरवी की है एंव पेशी तारीख निांक 21.07.2016 को जवाब पेश किया है। अतः अपीलांट्स को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है। तहसीलदार पचपदरा ने विवादग्रस्त भूमि की जॉच हेतु निरीक्षक भूअभिलेख निरीक्षक बालोतरा, पटवारी मूंगड़ा से ग्राम हेमपुरा के खसरा नम्बर 1124/204 रकबा 60 बीघा व खसरा नम्बर 1126/204 रकबा 40 बीघा की भूमि की पैमाइश कर मौका जॉच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये।भूअभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का द्वारा मौके पहुॅच कर,पक्षकारान की उपस्थिति में विवादग्रस्त भूमि का लट्टा ट्रेस में तरमीम अनुसार खसरे का सीमाज्ञान करवाया गया। लट्ठा ट्रेस में तरमीम अनुसार खसरा नम्बर 1124/204 रकबा 60 बीघा मे से 47–17 बीघा भूमि पर खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 02 का कब्जा पाया गया, शेष 12–03 बीघा भूमि में से 3–17 बीघा भूमि पर पड़ोसी खातेदार गोविन्दराम वल्द नारणाराम कौम ब्रहामण साकिन देह का व रकबा 8–06 बीघा भूमि पर पडोसी खातेदार कृष्ण,रामचन्द्र,केशाराम,गणपतलाल पिसरान गोपीलाल कौम ब्रहामण साकिन जानियाना का कब्जा होना बताया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि पर अन्य कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध तरीके से अनाधिकृत कब्जा करता है तो संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा अतिक्रमी को सुनवाई का अवसर देकर बेदखल करने एंव जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार राजस्व मण्डल के एक अन्य विनिश्चय ग्यारसीराम बनाम प्रताप 1985 आरआरडी 385 में धारा 183 बी, 5(44)एंव 42(ख)के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचना की गई है। जिसमें यह निर्णित किया गया है कि यदि अतिचारी ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिभारी के द्वारा धारित भूमि का कब्जा विधिक प्रावधान के बिना ले लिया है या बनाये रखा है तो उस बेदखल कराने का हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के आवेदन पर इस धारा के तहत बेदखल किया जा सकेगा।तथा ऐसे आवेदन पत्र पर जो जॉच की जायेगी वह अभिकथित अतिचारी को सुने जाने का अवसर देते हुए सुसंक्षिप्त रीति से की जाएगी। वर्तमान मामले में अपीलांट कृष्ण वगैरा जो जाति से ब्रहामण है,ने रेस्पोडेंट चेतनराम जो जाति से मेगवाल,अनुसूचित जाति का सदस्य है,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की खातेदारी भूमि पर खसरा नम्बर 1124/204 रकबा 12–03 बीधा पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा करने के फलस्वरूप तहसीलदार,पचपदरा ने धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बाद मौका जॉच के एंव अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर देकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है,जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2017 कायम रखा जाता है

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर